दिनांक 23 मई, 2017 को झारखण्ड विधानसभा द्वारा ''सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत'' विषय पर पर आयोजित व्याख्यान के अवसर पर माननीया राज्यपाल जी का अभिभाषण:-

झारखण्ड विधानसभा द्वारा बच्चों के हित में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज एवं राष्ट्रहित में ''सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत''जैसे अहम एवं गंभीर विषय पर आयोजित इस व्याख्यान कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपार प्रसन्नता हो रही है। इस कार्यक्रम में बचपन बचाओ आन्दोलन के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी की मौजुदगी अत्यन्त ही सुखद है। निश्चित ही उनका मार्गदर्शन इस दिशा में राज्यहित में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में लाभदायक सिद्ध होगा। मैं विधानसभा अध्यक्ष को इस प्रकार के गंभीर विषयों पर व्याख्यान कार्यक्रम करने हेतु बधाई देना चाहती हूँ। प्रो. दिनेश उराँव जी ने यह दिखाया कि वे न केवल सदन चलाने और विधायी कार्यों तक रूचि रखने मात्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाजहित एवं जनसरोकार से संबंधी सभी विषयों पर गंभीर तथा सजग हैं।

बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, वे ही देश के कर्णधार हैं। आवश्यक है कि उनको उचित शिक्षा के साथ-साथ बेहतर मार्गदर्शन तथा पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, ताकि उनकी क्षमताओं का पूरी तरह से विकास हो सके। यह सिर्फ माँ-बाप की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि पूरे समाज का परम कर्त्तव्य है। मेरी नज़र में, प्रत्येक बच्चा में हुनर है, उनमें प्रतिभा की किसी प्रकार की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें तराशने की, उसे सही दिशा प्रदान करने की तथा उनका मार्गदर्शन करने की।

लेकिन यह भी सत्य एवं बेहद दु:खद है कि जिस उम्र में बच्चों को भविष्य निर्माण के लिए विद्यालय जाना चाहिये, उस उम्र में हमारे देश में बहुत–से बच्चे, चाहे वे बालक हो या बालिका, घरेलू कार्य से लेकर कल–कारखानों तक में कार्य कर रहे हैं। बहुत–से किशोर–किशोरियों को रोजगार के नाम पर ठगे जाते हैं एवं Trafficking का शिकार कर अन्यत्र भेजे जाते हैं। जहाँ उनका विभिन्न प्रकार का शोषण होता है। संविधान में बाल श्रम पर रोक का प्रावधान है, इसे शोषण माना गया है, लेकिन यह भी चिन्तन करने का विषय है कि ये बच्चे पढ़ने, खेलने की अवस्था में मजदूरी करने को आख़िर क्यों विवश है और इनकी समस्याओं के निदान हेतु और क्या–क्या किया जा सकता है?

सरकार द्वारा बाल–श्रम रोकने के लिए कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इसके सफल कार्यान्वयन हेतु सरकार के विभिन्न विभागों के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों को भी सक्रियतापूर्वक कार्य करना होगा। राज्य से होने वाले **trafficking,** असुरक्षित पलायन और बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार की योजनाओं को सभी तक सुगम बनाना और इसके प्रति सभी को जागरूक करना आवयश्यक है, इसके लिए सभी बुद्धिजीवियों को भी एकजुट होकर कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त Trafficking से मुक्त बालिकाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर पुनर्वास हेतु उनके कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराना होगा। सरकार द्वारा बच्चों के विद्यालय के प्रति आकर्षण हेतु मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। बच्चों को सही भोजन मिले, यह विद्यालय प्रबंधन के साथ–साथ क्षेत्रीय पदाधिकारी भी देखें तथा सुनिश्चित करें। साथ ही हमें इस ओर भी चिन्तन करना है और

ध्यान देना है कि सिर्फ साक्षरता जरूरी नहीं है, अब गुणात्मक शिक्षा जरूरी है, जो सभी को सुलभ हो। झारखण्ड राज्य का राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के साथ ही राज्य के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण कर रही हूँ। मैं बहुत-से कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय जा चुकी हूँ। मैं उन्हें गुणात्मक शिक्षा मिले, इसके प्रति सजग हूँ। बच्चों से वार्त्ता कर उन्हें समाजसेवा तथा राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करती हूँ। साथ ही उन्हें अपने अच्छे कृत्यों से समाज के समक्ष एक रोल मॉडल, प्रेरणास्रोत बनने हेतु कहती हूँ।

साथ ही इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगी कि लोगों का सामाजिक दायित्व के तहत परम कर्त्तव्य है कि वे बच्चों से अपने घर में काम न लें। अपने फायदे के लिए कोई बाल-मजदूरी कराता है तो वे पाप की भागीदार बन रहे हैं, न कि सुख-सुविधा लेकर पुण्य के। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को कदापि माफ नहीं करेंगे। सभी का दायित्व है कि ऐसे बच्चों को देखें तो वे उन्हें विद्यालय से जोड़ने की कोशिश करें, यथोचित मदद करें तथा पुण्य के भागी बनें। याद रहें कि अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन जो समाज के लिए जीते हैं, वह सच में जिन्दगी जीते हैं और ये दुनिया ऐसे लोगों का सम्मान करती है। साथ ही उन्हें याद रखती है।

आशा है कि हमारे देश के बच्चों के बचपन को बचाने हेतु सभी में तेज गति से जागरूकता आयेगी। कानूनी प्रावधान के साथ-साथ लोगों में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बेहतर बचपन की दिशा में सार्थक साबित होगा।

जय हिन्द! जय झारखंड!